भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2923
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास के लिए नई स्कीम

2923. श्री शंकर लालवानी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का इन योजनाओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने का विचार है;

(ख) क्या ग्रामीण विकास के लिए नई स्कीम शुरू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधियों में संशोधन करने के संबंध में कोई चर्चा हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है , जिसका मुख्य उद्देश्य आजीविका के अवसरों में वृद्धि , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना , सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना आदि है। इस संबंध में , सरकार कई लक्षित कार्यक्रम लागू कर रही है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) , प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय

योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)। फिलहाल देश में ग्रामीण विकास के लिए कोई नई योजना शुरू करने की कोई योजना नहीं है। हालाँकि , वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार ने एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलता' कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल , निवेश, तकनीकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर कृषि में अल्परोजगार की समस्या का समाधान करना है। कार्यक्रम का फोकस ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों तथा भूमिहीन परिवारों पर होगा, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों के पास उपलब्ध शेष निधियां , योजनाबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने, योजनाओं के अंतर्गत पहले से आवंटित निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा योजनाबद्ध दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए राज्य सरकारों को निधियां आवंटित/जारी की जाती है।

*****